

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./

45

/2022

दिनांक: 11.03.2022

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. /04/2022 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा श्रीमती अक्षि कंसल (RJ0667), तत्कालीन विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट.प्रकरण), उदयपुर हाल विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर-II को दिनांक 17.01.2022 से 16.04.2022 तक 90 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 16.01.2022 एवं 17.04.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमे से दिनांक 04.03.2022 से 16.04.2022 तक 44 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2 (4)/35/2011/2045

दिनांक: 11.03.2022

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1453 दिनांक 07.03.2022 के सन्दर्भ में ।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर ।
4. श्रीमती अक्षि कंसल (RJ0667), विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर-II
5. विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट.प्रकरण), उदयपुर ।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), उदयपुर ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार